

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.23()स्था/निकाशि/RVRES/2012 / 235

दिनांक:- 09-04-2012

सचिव,
प्रबन्ध समिति,
समस्त पूर्व अनुदानित महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय:- राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत
कार्यग्रहण करने वाले शैक्षणिक कार्मिकों का सेवा रिकार्ड बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा जारी पत्रांक 05 दिनांक 10.1.12 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कुछ संस्थाओं द्वारा शैक्षणिक कार्मिकों के सेवा रिकार्ड में पूर्ण प्रविष्टियाँ नहीं की जाकर आधी/अधूरी प्रविष्टियाँ अंकीत कर पदस्थापित महाविद्यालयों को भिजवाई गई है तथा कुछ संस्थाओं द्वारा अभी तक पदस्थापित महाविद्यालयों को सेवा रिकार्ड भिजवाया ही नहीं गया है ।

अतः समस्त संस्थाओं को पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 10.1.12 के अनुसार पूर्ण प्रविष्टियाँ करने के पश्चात ही कार्मिकों के पदस्थापित महाविद्यालय में सेवा रिकार्ड दिनांक **30.04.12** तक आवश्यक रूप से भिजवावें अन्यथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व तत्सम्बन्धी नियम 1993 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार राजकीय आदेशों/निर्देशों की अवहेलना किये जाने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी जिसके लिये प्रबन्ध समिति पूर्णतः उत्तरदायी होगी ।

(सुबीर कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, को प्रेषित कर लेख है कि जिन संस्थाओं के द्वारा विभागीय निर्देशों के अनुरूप सेवा रिकार्ड पूर्ण करके प्रस्तुत नहीं किया गया है उन संस्थाओं को सेवा रिकार्ड पूर्ण करने हेतु लौटाया जाकर पालना सुनिश्चित करावें ।
2. डॉ.धीरेन्द्र देवर्षि, बेबसाइट प्रभारी ।

संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर